



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042026-271590
CG-DL-E-06042026-271590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1675]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/चैत्र 16, 1948

No. 1675]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

का.आ. 1742(अ).— न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा (2) और न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 30.01.2026 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पत्र संख्या 9/15/2025-ईओ (एसएम-II) के माध्यम से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पांच वर्ष की अवधि के लिए या 67(सड़सठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

क्र. सं.	माननीय सदस्य का नाम	एनसीडीआरसी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री शशि नंदकेओल्यार	16.02.2026 (पूर्वाह्न)

2. इन नियुक्तियों के नियम और शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021, न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

[फा. सं. जे-1/1/2025- सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2026

S.O. 1742(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Tribunals Reform Act, 2021 and the Rule 3(12) of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) conveyed by the Department of Personnel and Training vide communication no 9/15/2025-EO(SM-II) dated 30.01.2026, the Central Government hereby appoints the following to the post of the Member, National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), as per details given below, for a period of five years or till he attains the age of 67 (Sixty-Seven) years or until further orders, whichever is the earliest:

S.No.	Name of the Hon'ble Member	Date of Joining in NCDRC
1.	Shri Shashi Nandkeolyar	16 th February, 2026 (Forenoon)

2. The terms and conditions of these appointments shall be regulated in terms of the provisions of the Tribunals Reform Act, 2021, the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and other instructions on the matter, if any, issued by the Central Government from time to time.

[F. No. J-1/1/2025- CPU]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.